न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 –429/2022

1. विमल कुमार पुत्र सन्त कुमार जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादी

बनाम

1. सन्त कुमार पुत्र बीरूराम जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. शिक्षा पुत्री सन्त कुमार पत्नी मुकेश कुमार जाति बिश्नोई निवासी शेरेका तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. सन्जना पुत्री सन्त कुमार पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी राजावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
4. पंकज कुमारी पुत्री सन्त कुमार पत्नी पूनम बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी राजावाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का ।
5. सरला पत्नी सन्त कुमार जाति बिश्नोई निवासी शेरेकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विकास कुमार वादी
श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 28/4/25

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी स० 1 के नाम से चक 19 जी. जी. आर जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता स० 13 में प० न० 176/276 मु0 न० 23 के किला न0 5 / 0.253 मय गै० मु०, प० न० 177/275 मु0 न0 17 के किला न0 1 से 2/0.506, 9 से 11 / 0.759 हैक्टेयर नाली प्रथम व चक 1 एच. एम. एच के खाता स० 128 में प० न० 176 / 275 मु० न० 47 के किला न. 15 से 16 / 0.506, 25/0.253 कुल 0.759 हैक्टेयर नाली प्रथम भूमि दर्ज है। प्रमाणित डिजिटल ई–साइन कापी जमाबन्दी पेश है । वादी तथा प्रतिवादीगण स० 1 ता 5 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है । वाद पत्र की चरण स० 3 में अंकित भूमि में वादी का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है । वाद पत्र की चरण स० 3 में अंकित भूमि को लेकर अर्सा समय पूर्व वादी एंव प्रतिवादीगण स० 1 ता 5 के मध्य घरू बंटवारा हुआ। बंटवारा में वादी को चक 1 एच. एम. एच के वर्तमान खाता स० 128/10 में अंकित कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि मय गै. मु. तथा चक 19 जी. जी. आर. के खाता स० 13/14 के प0 न0 176/276 मु० न० 23 के किला न0 5/0.253 हैक्टेयर मय गै. मु. भूमि प्राप्त हुई है तथा घरू बंटवारा के समय ही प्रतिवादीगण स० 2 ता 4 ने अपना हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर रखा है। बंटवारा के समय से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ

Scanned with CamScanner

रहा है तथा रकमराज अदा करते आ रहे है । मुताबिक बंटवारा भूमि वादी के नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से उनके वैधानिक अधिकारो पर बेजा असर पडता हैं इसलिए वादी डिक्री घोषणात्मक इस आशय की प्राप्ति के अधिकारी है कि दावा की चरण स० 4 में अंकित अनुसार वादी भूमि का खातेदार काश्तकार है । वादी का खाता प्रतिवादी स० 1 के साथ संयुक्त रहने से रकमराज दाखिल करने, बैंक से वितीय ऋण लेने में वादी को काफी कठिनाईयो का सामना करना पडता है तथा काश्त करते समय सीमा का विवाद अक्सर बना रहता है इसलिए वादी अपना खाता प्रतिवादी स० 1 के साथ संयुक्त नहीं रखना चाहता है तथा अपना खाता दफा 4 के अनुसार अलग–अलग खुलवाकर रकमराज अपने–अपने नाम अपनी भूमि की अलग कायम करवाने की डिक्री प्राप्ति के अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी स० 1 से गत सप्ताह निवेदन किया कि वे वादी को वाद पत्र की चरण स० 4 के अनुसार प्राप्त आराजी का खातेदार काश्तकार मान लेवे व साथ चलकर खाता अलग राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। प्रतिवादी स0 5 को फोरमल पक्षकार वाद बनाया गया है। प्रतिवादी स० 6 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार वाद बनाया गया है । वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा अन्दर मियाद व उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे:–

(क) कि घोषणा इस आशय की जारी फरमायी जावे कि वादी चक 1 एच. एम.एच जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स० 128/10 में अंकित कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि मय गै० मु० तथा चक 19 जी. जी. आर. के खाता स० 13/14 के प० न० 176/276 मु० न० 23 के किला न0 5 / 0.253 हैक्टेयर भूमि मय गै० मु० का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी स० 1 सन्तराम का नाम चक 1 एच. एम. एच के खाता स० 128/10 में से कलमजन किया जावे व चक 19 जी. जी. आर. में प्रतिवादी स0 1 सन्तराम का शेष हिस्सा यथावत रहेगा ।

(ख) कि चक 19 जी. जी. आर. के खाता स० 13/14 के प० न० 176/276 मु० न० 23 के किला न0 5/0.253 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन कर रकमराज वादी के नाम से अलग कायम करने की डिक्री फरमाये ।

वाद पत्र पेश होने के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की और जरिये अधिवक्ता वाद की सभी मदो को स्वीकार करते हुए सहमति का जवाबदावा पेश किया राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश कर निवेदन किया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाए. प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदाव/ईकवाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा साक्ष्य का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया वादी द्वारा वाद के समर्थना में दस्तावेज प्रदर्श करवाए।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया वादी द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि में अपने हको की घोषणा चाही गयी है, प्रस्तुत दस्तावेजो से

Scanned with CamScanner

बाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमे वादी का हक व हिस्सा निहित है अतः वाद वादीगण को प्रतिवादी के द्वारा स्वीकार करने तथा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीयान स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 एच. एम.एच जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के वर्तमान खाता स० 128/10 में अंकित कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि मय गै० मु० तथा चक 19 जी. जी. आर. के खाता स० 13/14 के प० न० 176/276 मु० न० 23 के किला न0 5 /0.253 हैक्टेयर भूमि मय गै० मु० का वादी खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी स० 1 सन्तराम का नाम चक 1 एच. एम. एच के खाता स० 128/10 में से कलमजन किया जावे व चक 19 जी. जी. आर. में प्रतिवादी स0 1 सन्तराम का शेष हिस्सा यथावत रहेगा व चक 19 जी. जी. आर. के खाता स० 13/14 के प० न० 176/276 मु० न० 23 के किला न0 5/0.253 हैक्टेयर भूमि का खाता विभाजन कर रकमराज वादी के नाम से अलग कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28/4/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी।

Scanned with CamScanner